


Book No. ०१ SL No. २४९

22/09/2022

प्रपत्र-

शपथ-पत्र



NOTARY

मैं, लिंदिया बुमारी प्रति प्रियो/पति लिंदिया बुमारी
उम्र ४३ वर्ष, *नगर निगम/*नगरपालिका/*नगरपालिका संचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या १६
मोहल्ला दीपनगर नगर भॉलौनी, पोस्ट बालूधार, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगरपालिका/*नगरपालिका संचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या १८ के *पार्षद/*उपमुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;
कि मैं विहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा १८ के उपवन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;
कि मैं विहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा १८ के तहत *नगर निगम/*उपमुख्य परिषद/*मुख्य पंचयत मुजफ्फरपुर के वार्ड १८ के *पार्षद/*उपमुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;
कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

लिंदिया बुमारी
अध्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - मीठा गोविंद

नाम- मीठा गोविंद

पता- इमाम गांधी ७१८/१८, मुजफ्फरपुर

Praveen Kumar
Adv
22/09/2022

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - मीठा अल्पदत्त भाद्री

नाम- मीठा अल्पदत्त भाद्री

पता- इमामगांज ९१८/१८, मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 22/09/2022

BOOK NO. ०१
The Above Named Executive/ Deponent
Has Been Identified By Shri.....

Kumal Adikar
Known To Me Personat / To My Satisfaction
At Muz Before Me

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटर प्रतिक्रिया/ओप्र कर्मिशास्त्र के लिए जारी कराया जाएगा।

Advocate & Notary Public

22/09/2022

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुख्यमन्त्री.....जिला के *नगर निगम/*नगरपालिका/*नगरपालिका अधिकारी के वार्ड संख्या18..... से *पार्षद/*उप मुख्यपार्षद/*मुख्यपार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- **किंदिया कुमारी**

प्रिता/पति का नाम- **दिलीप कुमार**

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं- **शूल**

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- **शूल**

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- **शूल**
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- **शूल**
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- **शूल**
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- **शूल**

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- **शूल**

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- **शूल**

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? **शूल**

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- **शूल**

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- **शूल**

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- **शूल**

(iv) यदि निष्पादित है, तो **शूल**

(क) निष्पादन की तिथि- **शूल**

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- **शूल**

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- **शूल**

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- **शूल**

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उम्मोचित (discharge) **शूल**

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- **शूल**

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- **शूल**

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- **शूल**

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लोबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शुल्क

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुल्क
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुल्क
- (iii) अपराध संख्या शुल्क
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुल्क
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना शुल्क पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुल्क

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शुल्क

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुल्क
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुल्क
- (iii) अपराध संख्या- शुल्क
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुल्क
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना शुल्क पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुल्क

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लोबित हो, तो पूर्ण विवरण- शुल्क

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

- (i) कृषि भूमि :- शुल्क
- (ii) शहरी भूमि- रुपात के नाम से 04.5 एकड़ी रुपात लगभग 40,00,000 = 02
- (iii) भवन- भृकु भवन नाम से 01.00 रुपात लगभग 10,00,000 = 01

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमतः-

(i) नकद

30,000 = 00

बैंक अंक बँड़दा

बैंक बैलेस- लाला बोध - 16,737 = 50

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट

शूल

बॉण्ड, शेयर-

शूल

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।)

(v) वाहन

शूल

आभूषणों का विवरण

(निवंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें।)

(पूर्ण विवरण हैं)
$$\begin{array}{r} \text{शूल} 7 \text{ भरीमत} - 3,50,000 = 00 \\ \text{शूल} 50 \text{ भरीमत} \quad 35,000 = 00 \\ \hline 3,85,000 = 00 \end{array}$$

6. **(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ

(प्रमाण-पत्रों के साथ) शूल

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शूल

7.

अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- स्कूल- एस.आर.के.ए.डी.कॉलेज उच्च विद्यालय लिमिटेड
जारी दः - एम.एस.के.डी.कॉलेज स्प्रिंगर
रसायन - वीमनन कॉलेज लिमिटेड

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुम्बई

तिथि- 23/09/2022

लिमिटेड लिमिटेड
अर्थर्थों का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अर्थर्थों द्वारा सूचना छिपाने

की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।